

सार्वजनिक वितरण प्रणाली

सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) एक भारतीय खाद्य सुरक्षा व्यवस्था है। भारत में उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अधीन तथा भारत सरकार द्वारा स्थापित और राज्य सरकारों के साथ संयुक्त रूप भारत के गरीबों के लिए सब्सिडी वाले खाद्य और गैर खाद्य वस्तुएँ वितरित करता है। गेहूँ, चावल, चीनी जैसे प्रमुख खाद्यान्नों को इस योजना के माध्यम से सार्वजनिक वितरण की दुकानों द्वारा पूरे देश में पहुँचाया जाता है।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के उद्देश्य

1. उपभोक्ताओं को सस्ते और रियायती कीमतों पर आवश्यक उपभोग की वस्तुएँ प्रदान करना है ताकि उन्हें वस्तुओं की बढ़ती हुई कीमतों के प्रभाव से बचाया जा सके और जनसंख्या के न्यूनतम पोषण की स्थिति को भी बनाए रखा जा सके
2. इस प्रणाली को चलाने के लिए सरकार खरीद मूल्य पर व्यापारियों/मिलों और उत्पादकों के साथ बाजार का एक बिक्री योग्य अधिशेष खरीद लेती है। इसे ग्राहकों में उचित राशन दुकानों और बफर स्टॉक के एक नेटवर्क के माध्यम से उपभोक्ताओं को वितरित किया जाता है।
3. खाद्यान्न के अलावा सार्वजनिक वितरण प्रणाली में खाद्य तेल, चीनी, कोयला, मिट्टी के तेल और कपड़े का भी वितरण किया जाता है।
4. पीडीएस का सालाना व्यय लगभग तीस हजार करोड़ रुपये से अधिक का है जिसमें लगभग 160 लाख परिवार आते हैं और यह शायद दुनिया में अपनी तरह के वितरण वाला सबसे बड़ा नेटवर्क है।

प्रमुख योजनाएं-

- मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना
- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 का क्रियान्वयन
- अनुसूचित जाति एवं जनजाति के परिवारों को प्राथमिकता परिवार में सम्मिलित करने का अभियान
- पात्र परिवारों का डाटा डिजिटलईजेशन
- शक्कर, केरोसीन, आयोडीनयुक्त नमक का वितरण
- अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रावासों को रियायती दर पर खाद्यान्न
- उचित मूल्य दुकानों के लिए नवीन कमीशन व्यवस्था लागू
- 'द्वार प्रदाय योजना'
- राज्य खाद्य आयोग का गठन

भारतीय खाद्य निगम -

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए खाद्यान्न उपलब्ध कराने वाली मुख्य एजेंसी भारतीय खाद्य निगम (FCI) की स्थापना 1965 में हुई थी। निगम का प्राथमिक कार्य अनाजों और अन्य खाद्य पदार्थों की खरीद, बिक्री, भंडारण, एवं वितरण करना है। इसका मुख्य उद्देश्य किसान को उसकी उपज का सही मूल्य के साथ उपभोक्ताओं को भारत सरकार द्वारा निर्धारित कीमतों पर खाद्यान्न उपलब्ध कराना है।

खाद्य सुरक्षा व्यवस्था में कमियां

1. गरीबों के लिए सीमित लाभ: ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबों को पीडीएस से ज्यादा फायदा नहीं हुआ है जिस कारण उन्हें खुले बाजार पर अधिकतर निर्भर रहना पड़ता है जहां अधिकांश वस्तुओं की कीमतें सार्वजनिक वितरण प्रणाली तुलना में बहुत अधिक होती हैं। "पीडीएस के माध्यम से सबसे गरीब 20 फीसदी परिवारों तक ही अनाज पहुंच पाता है जो बहुत ही कम है"।

2. **सिर्फ शहरी लोगों तक पहुंच:** पीडीएस योजना लंबे समय से अभी भी शहरी क्षेत्रों तक ही सीमित है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में इसकी पहुंच अभी भी बहुत अपर्याप्त है।
3. **खाद्य सब्सिडी का बोझ:** भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली में अत्यधिक सब्सिडी अथवा छूट दी जाती है और इससे सरकार पर काफी राजकोषीय बोझ पड़ता है।
4. **संचालन में अक्षमता:** भारतीय खाद्य निगम के संचालन में कई अक्षमताएं हैं जैसे- खाद्यान्न के संचालन की आर्थिक लागत और 'अन्य लागतें' (जिसमें आकस्मिक खरीद, वितरण लागत और भाड़े की लागत शामिल हैं) खरीद मूल्य में वृद्धि के कारण बढ़ रही हैं।
5. **पीडीएस के परिणामस्वरूप कीमतों में वृद्धि:** सरकार द्वारा खाद्यान्न की बढ़ी खरीद वास्तव में खुले बाजार में शुद्ध मात्रा की उपलब्धता को कम कर देती है।
6. **पीडीएस में भ्रष्टाचार:** सार्वजनिक वितरण प्रणाली की एक और आलोचना प्रणाली में लीकेज से संबंधित है जो परिवहन और भंडारण तथा खुले बाजार के परिवर्तन के रूप में होते हैं। लीकेज का प्रमुख हिस्सा भ्रष्टाचार है जिसके कारण खाद्यान्न खुले बाजार में पहुंचता है न कि उन लोगों तक जिनके लिए यह भेजा गया था।

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में कार्यान्वित कर दिया गया है, जिससे लगभग 80.72 करोड़ आबादी लाभान्वित हुई है। सरकार ने एनएफएसए स्कीम के अंतर्गत केन्द्रीय निगम मूल्य को अपरिवर्तित रखने का निर्णय लिया है।
- राशन कार्डों/लाभार्थियों के रिकार्डों के डिजिटलीकरण, आधार सीडिंग के कारण नकली राशन कार्डों की समाप्ति, स्थानांतरण/निवास स्थान परिवर्तन/मृत्यु, लाभार्थियों की आर्थिक स्थिति में परिवर्तन और खाद्य सुरक्षा अधिनियम के कार्यान्वयन होने तक की अवधि तथा इसके कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप 2.75 करोड़ राशन कार्ड समाप्त कर दिए गए हैं।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली में प्रमुख सुधार

- **सार्वजनिक वितरण प्रणाली में आधार सीडिंग:** नकली राशन कार्डों को समाप्त करने के लिए तथा इसे सही रूप से लक्षित करने के लिए 83.41 प्रतिशत अर्थात् लगभग 19.41 करोड़ राशन कार्ड आधार के साथ जोड़े गए हैं।
- **उचित दर दुकानों का स्वचालन:** पायलट योजना और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के अनुभवों के आधार पर खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग ने उचित दर दुकानों पर पीओएस मशीनों के इस्तेमाल के लिए दिशा-निर्देश निर्धारित किये गये।
- **भुगतान:** डिजिटल भुगतान तंत्र के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए विभाग ईपीएस, यूपीआई, यूएसएसडी, डेबिट/रुपे कार्डों और ई-वॉलेट के इस्तेमाल के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
- **केन्द्रीय क्षेत्र की नई स्कीम "सार्वजनिक वितरण प्रणाली का एकीकृत प्रबंधन":** सार्वजनिक वितरण प्रणाली नेटवर्क (पीएसडीएन) तैयार करने हेतु सेंट्रल डाटा रिपोजिटरी तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली की केन्द्रीय मानीटरिंग प्रणाली की स्थापना की है।

खाद्यान्नों के भंडारण में सुधार

- गोदामों का निर्माण तथा भंडारण में आधुनिक प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल गेहूं और चावल के भंडारण के लिए भारतीय खाद्य निगम और राज्य सरकारों सहित अन्य एजेंसियों द्वारा सार्वजनिक-निजी-भागीदारी पद्धति से भंडारण क्षमता के निर्माण की रूपरेखा अनुमोदित की गई है।
- डिपो ऑनलाइन प्रणाली भारतीय खाद्य निगम के गोदामों के सभी प्रचालनों को ऑनलाइन करने तथा डिपो स्तर पर लीकेज को रोकने और कार्यों को स्वचालित करने के उद्देश्य 'ऑनलाइन' प्रणाली शुरू की गई थी।

बेहतर उपभोक्ता संरक्षण

- उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 को वर्तमान परिस्थितियों के अनुकूल बनाने के लिए, 2018 में उपभोक्ता संरक्षण विधेयक पेश किया गया।

- इस विधेयक में, केन्द्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण कार्यकारी एजेंसी की स्थापना करने का प्रावधान है, जो अनुचित व्यापार और भ्रामक विज्ञापनों की जांच करेगी।
- उपभोक्ता विवादों के संबंध में त्वरित निपटान की सुविधा प्रदान करने हेतु एक वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र के रूप में “मध्यस्थता” का प्रावधान किया गया है।

राष्ट्रीय उपभोगता हेल्पलाइन

उपभोक्ता विवादों के प्रभावी एवं तीव्र निवारण के लिए राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन (एन.सी.एच.) का सुदृढीकरण किया गया है।

डिजिटल पहलें

- ई-कॉमर्स मंच पर विक्रेता द्वारा प्रदर्शित की जाने वाली वस्तुओं पर नियमावली के अंतर्गत अपेक्षित घोषणाएं हा े नी चाहिए।
- उपभोक्ता शिकायत तंत्र तथा उपभोक्ताओं को जानकारी का प्रसार करने में शामिल विभिन्न हितधारकों के लिए साझा आई.टी.मंच प्रदान करने हेतु नया पोर्टल, मोबाईल एप्लीकेशन, बारकोड रीडर एप्प “स्मार्ट कंज्यूमर” शामिल है।

मुख्य परीक्षा प्रश्न

प्रश्न- भारत जैसे विशाल देश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रासंगिक व्यवस्था है, परंतु इसकी कमियां इसके उद्देश्यों को प्राप्त करने में असमर्थ प्रतीत होता है। उपर्युक्त संदर्भ में शांताकुमार समिति की सिफारिशों की चर्चा करें।

